न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहलकार हुक्म से हुक्म
	बृजेश कुमार बनाम रामदेव सिंह प्रा.पत्र मु. 91/15	
19-12-17	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित/ पीठा... अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
9-1-18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित/ पीठा... अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
11-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील अप्रार्थी अनुपस्थित, अप्रार्थी नं० 10 व 22 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है तथा जवाब तलबी पर बन्द किया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 23-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23-1-18	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित/ पीठा... अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30.01.2018	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने शेष अप्रार्थीगण की नोटिस तामील रजिस्टर्ड डाक से हो जाने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर रजिस्टर्ड डाक की तामीलों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में (हस्ताक्षर)	

Scanned by CamScanner

बृजेश कुमार बनाम रामदेव सिंह प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.न. 91/15

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी संख्या 2 ता 5, 7, 14 ता 21, 23, 24 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये एक वर्ष से भी अधिक का समय हो चूका है। बावजूद रजिस्टर्ड डाक के भी हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 ता 5, 7, 14 ता 21, 23, 24 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में अप्रार्थी न. 8, 9, 29 ता 36 की ओर से राजीनामा पेश हो चूका है एंव शेष पक्षकारान् के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चूकी है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र तकास्मा से सम्बन्धित होने से मूल वादपत्र में आज ही प्रारम्भिक डिकी जारी हो चूकी है।	
	अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में निर्णय किया जाना उचित समझता हूँ। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को तादौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खसरा नम्बर 1296 रकबा 1.34 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम होल्या का बास तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	(ब्रह्म लाल जाट) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Scanned by CamScanner